आरईसी लिमिटेड/REC Limited
भारत सरकार का उद्यम/ A Government of India Enterprise
पंजीकृत कार्यालय- कोर-4 स्कोप कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, 7, नई दिल्ली-110003
Registered Office- Core-4 Scope Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003
निगमित कार्यालय- आरईसी लिमिटेड, वैश्विक मुख्यालय, सेक्टर-29, प्लॉट नंबर आई-4, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001
Corporate Office- REC limited, World Headquarter, Plot No. I-4, sector-29, Gurugram-122001, Haryana

अंतर-कार्यालय ज्ञापन

सं.आरईसी वित्त-ऋण एवं वसूली/2023-24 दिनांक: 28-12-2023

विषय:- महत्वपूर्ण नियमों एवं शर्तों का अनुपालन न करने या ऋण खातों में चूक होने पर आकस्मिक शुल्क की नीति

आरबीआई के परिपत्र दिनांक 18-अगस्त-2023 के अनुपालन में आरईसी लिमिटेड के निदेशक मण्डल (बोर्ड) ने दिनांक 20.12.2023 को आयोजित अपनी 511 वीं बैठक में महत्वपूर्ण नियमों एवं शर्तों का अनुपालन न करने या ऋण खातों में चूक होने पर 'आकस्मिक शुल्क' से संबंधित नीति का अनुमोदन कर दिया है।

निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीति एवं दिशा-निर्देश सभी संबंधित विभागों के अनुपालन हेतु अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

यह नीति कार्पोरेशन में दिनांक 01.01.2024 से लागू है।

(साहब नारायण)
विभागाध्यक्ष (वित्त-ऋण एवं वसूली)

संलग्न: अनुलग्नक

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजनाएं) एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी का सचिवालय,
2. आरईसी लिमिटेड के सभी कार्यपालक निदेशक,
3. आरईसी लिमिटेड सभी विभागाध्यक्ष,
4. आरईसी लिमिटेड के सभी वरिष्ठ मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक एवं मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक

<u>आरईसी लिमिटेड</u>

विषय: **महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने या ऋण खातों में चूक के लिए 'आकस्मिक शुल्क' के लिए नीति।**

1. यह नीति उधारकर्ता द्वारा ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का पालन न करने या बकाया राशि के भुगतान में चूक पर 'आकस्मिक शुल्क' के आवेदन को नियंत्रित करेगी, जिसमें आरईसी द्वारा वित्तपोषित सभी राज्यों के लिए निजी क्षेत्र की परियोजनाएं जिनमें गैर-पूंजीगत व्यय ऋण, लागत वृद्धि के मामले (यदि कोई हो) और एलओसी/एलओयू सहित मूलधन, ब्याज, अन्य शुल्क आदि शामिल हो सकते हैं।

2. ऋण अनुबंध के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का पालन न करने पर या उधारकर्ता द्वारा बकाया भुगतान में चूक के मामले में लगाया गया जुर्माना 'आकस्मिक शुल्क' के रूप में माना जाएगा।

3. आकस्मिक शुल्कों का कोई पूंजीकरण नहीं होगा यानी ऐसे शुल्कों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं जोड़ा जाएगा । हालाँकि, इससे ऋण खाते में ब्याज चक्रवृद्धि की सामान्य प्रक्रियाएँ प्रभावित नहीं होंगी।

4. आकस्मिक शुल्क की दर **अनुलग्नक क** में संलग्न विवरण के अनुसार होगी।

5. यदि आरईसी कारोबार के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए 'व्यक्तिगत उधारकर्ता' को ऋण स्वीकृत करता है, तो आकस्मिक शुल्क, भौतिक नियमों और शर्तों के समान गैर-अनुपालन के लिए गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं पर लागू आकस्मिक शुल्क से अधिक नहीं होगा।

6. दंडात्मक शुल्क की मात्रा और कारण को कंपनी द्वारा ग्राहकों को ऋण समझौते और लागू होने वाले सबसे महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों / मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा, इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट पर ब्याज दरों और सेवा शुल्कों के तहत प्रदर्शित किया जाएगा।

7. जब भी ऋण के महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों का अनुपालन न करने के लिए उधारकर्ताओं को अनुस्मारक भेजे जाते हैं, तो लागू आकस्मिक शुल्क के बारे में सूचित किया जाएगा। इसके अलावा, आकस्मिक शुल्क लगाने के किसी भी उदाहरण और उसके कारण को भी सूचित किया जाएगा।

8. यह नीति उधारकर्ता द्वारा लिए गए नए ऋण/नवीनीकरण किए गए सभी ऋणों के संबंध में 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। मौजूदा ऋणों के मामले में, यह नीति अगली समीक्षा या नवीनीकरण तिथि से या 1 जनवरी, 2024 से छह महीने, जो भी पहले हो, से प्रभावी होगी। यदि दंड शुल्क के संबंध में आरबीआई परिपत्र दिनांक 18.08.2023 की प्रयोज्यता की प्रभावी तिथि में परिवर्तन होता है, तो इस नीति की प्रभावी तिथि तदनुसार बदल जाएगी।

9. उधारकर्ता जुर्माना, फ़ीस, शुल्क आदि, यदि कोई हो, के साथ-साथ लागू आकस्मिक शुल्क का भुगतान करेगा।

10. एनपीए/क्रेडिट बाधित खातों के मामले में, लागू करों के साथ आकस्मिक शुल्क का हिसाब रसीद के आधार पर किया जाएगा।

11. इस नीति और मंजूरी पत्र/ऋण समझौते के बीच टकराव की स्थिति में, समय-समय पर संशोधित मंजूरी/ऋण समझौते की शर्तें लागू होंगी।

12. संबंधित परिचालन प्रभाग अतिरिक्त ब्याज/दंडात्मक ब्याज वसूलने के संबंध में जारी मौजूदा दिशानिर्देशों/नीतियों को संशोधित करेगा और नीति में बदलाव के संबंध में उधारकर्ता को आवश्यक बातचीत संबंधित परिचालन प्रभाग द्वारा किया जाएगा।

13. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसी भी अतिरिक्त/हटाने/छूट/स्पष्टीकरण/व्याख्या/संशोधन/परिचालन दिशानिर्देश/प्रक्रियाओं को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा, जैसा कि अन्य वित्तीय संस्थानों/बैंकों के साथ नीति के संरेखण के लिए आवश्यक हो सकता है, इस नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जहां भी आरईसी या के लिए स्वीकार्य हो।

अनुवाद किया जा रहा है।